B.A. (Hons) Part-3

Paper-8 (special study-Dalit Sahitya aor stri vimarsh)

Topics- दलितों के मसीहा - डॉ० भीमराव अंबेडकर

UG

Subject- Hindi

- Dr.Prafull kumar,Asso.Professor, Development of Hindi

RRS College Mokama (PPU)Patna

दलित साहित्य का विमर्श करते समय भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष दलितों के मसीहा,भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर, को जानने की आवश्यकता है। अंबेडकर लोकप्रिय,बहुज्ञ,विधिवेत्ता,अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ,समाजसुधारक थे।उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया।स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे।उनका जन्म अप्रैल 1891ई० को मध्य प्रदेश के इन्दौर में हुआ था।पिता सेना में थे।सैनिको के बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा की विशेष व्यवस्था थीं। इसलिए उनकी स्कूली पढ़ाई सामान्य तरीके से हो सकी।वे गवर्न्मेंट हाई स्कूल के पहले अछूत छात्र बने। पढाई में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बावजूद,वे लगातार अपने विरुद्ध हो रहे भेदभाव झेलते रहे।1907 में मैट्रिक परीक्षा पास करके बम्बई विश्वविद्यालय के कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अछूत थे।1912 में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की। वे निरंतर छूआछूत के खिलाफ लड़ते रहे। भारत सरकार अधिनियम 1919 बनाते समय भारत के एक प्रमुख विद्वान अंबेडकर को आमंत्रित किया गया।अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिये पृथक निर्वाचन और आरक्षण देने की वकालत की। सन् 1927 में डॉ. अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। जिससे गांधी जी की भावनाएं आहत हुई। अंत में गांधी जी को मजबूर होकर अंबेडकर की मांगे माननी पडी।14 अक्टूबर, 1956 को नागपुर में अंबेडकर ने खुद और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक

समारोह का आयोजन किया। अंबेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से तीन रत्न ग्रहण और पंचशील को अपनाते हुये बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अपनी अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और उनके धर्म को पूरा करने के तीन दिन के बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर की मृत्यु हो गई। अंबेडकर का संविधान निर्माण करने में अतुलनीय योगदान रहा।2वर्ष,11माह,18दिनों में संविधान बनाकर उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया।उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने देश का पहले कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का मौका दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया।29 अगस्त, 1947 को, अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान-रचना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया।अंबेडकर ने संविधान निर्माण के लिए पश्चिमी मॉडल इस्तेमाल किया है (ब्रिटिश, आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा और फ्रांस सहित विभिन्न देशों के संविधान प्रावधान) लिए गये पर उसकी भावना भारतीय है। अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान पाठ में संवैधानिक गारंटी के साथ व्यक्तिगत नागरिकों को एक व्यापक श्रेणी की नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा प्रदान की जिनमें, धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत और सभी प्रकार के भेदभावों को गैर-कानूनी करार दिया गया। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों की नौकरियों मे आरक्षण प्रणाली शुरु करने के लिए सभा का समर्थन भी हासिल किया, भारत के विधि निर्माताओं ने इस सकारात्मक कार्यवाही के द्वारा दलित वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन और उन्हे हर क्षेत्र मे अवसर प्रदान कराने की चेष्टा की जबकि मूल कल्पना में पहले इस कदम को अस्थायी रूप से और आवश्यकता के आधार पर शामिल करने की बात कही गयी थी।26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया और 26 जनवरी, 1950 को लागू किया।

डॉक्टर अंबेडकर स्वयं दलित वर्ग से आते हैं और उन्होंने दलित चेतना को अनुभव करते हुए दलितों की समस्याओं पर विशेष विचार किया है।दलितों की मुक्ति के लिए अभियान चलाया,उनकी आजादी के

लिए व्यवस्था करना उनका लक्ष्य था।उनके जीवन का संपूर्ण चिंतन सामाजिक न्याय,स्वतंत्रता पर आधारित था।उनका लक्ष्य था कि सामाजिक समानता के साथ आर्थिक समानता लाकर दलितों का उत्थान किया जाए।दलित वर्ग के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान रखना और उसका पालन करने के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र को संदेश देना डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन और विचार का आधार था। समाज में समान स्थान पाने, सामाजिक, आर्थिक, मुक्ति पाने की राह में उन्होंने दलितों को शिक्षित संगठित और मानवीय अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी।दलितों को शिक्षित और संगठित बनाकर मानवीय अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देकर उनमें दलित चेतना उत्पन्न किया।सामाजिक समानता के धरातल पर प्रतिष्ठित करने में उन्होंने बहुत कोशिश की।दलितों को अपने अस्तित्व का बोध कराया।दलितों में नई चेतना जागृत की। दलित जीवन को सम्मान पूर्ण स्थान दिलाने का भरसक प्रयत्न किया।डॉक्टर अंबेडकर युगों से दलित,शोषित समाज में आत्मविश्वास,आत्म गौरव एवं इंसानियत की नई चेतना भर दी।

प्रेमचन्द ने दलित वर्ग की सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थितियों का परिचय दिया है। तात्कालिक भारतीय दलित समाज की यथार्थ गाथाएँ कहती हुई धनिया की विवशता है--**"हीरा ने रोते हुए कहा-भाभी,दिल कड़ा करो,गो-दान करा दो,दादा चले।---- बीस आने पैसे लायी और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दातादीन से बोली-महाराज,घर में न गाय है,न बछिया,न पैसा।यही पैसे हैं,यही इनका गो-दान है।और पछाड़ खाकर गिर पड़ी।"(1)**

गोदान में धनिया सामाजिक स्तर पर क्रांतिकारी कदम उठाते हुए यादवों के घोर विरोध के बावजूद झूनिया को बहू स्वीकार करती है।धनिया मातादीन की मजदूरनी से रखैल बनी सिलिया को जबरदस्त संरक्षण प्रदान करती है।वह सिलिया को ब्राह्मण का दर्जा देने के बजाय मातादीन को ही चमार बनाने का अभियान छेड़ देती हैऔर सफलता भी प्राप्त करती है।धनिया ने ब्राह्मण मातादीन को चमार बनाकर ही छोड़ा।यह क्रांति का स्वर अन्यत्र भी है--**"सिलिया की माँ-- वाह-वाह पण्डित खूब**

नियाव करते हो।तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इसी तरह की बातें करते तो देखती।हम चमार हैं,-----तुम बडे नेमी-धरमी हो।उसके साथ सोओगे; लेकिन उसके हाथ का पानी न पियोगे।"(2)

कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचन्द ने सवर्ण अमरकांत की पत्नी सुखदा को दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए आंदोलन चलाती हुई दिखाकर उस दौर के दलितों में सामाजिक कार्यकर्ता बनकर सामाजिक न्याय के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश दिखाया है।तात्कालिक दलितों के जीवन में क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रति रुझान,समाज में समानता लाने का प्रयास है। शायद प्रेमचन्द ने यह महसूस कर लिया था कि समाज का रूख बदलने वाला है।दबी-कुचली जनता अब आगे चलकर सामंती-शोषणऔर दबाव झेलने वाली नहीं हैं।इसी दूरदृष्टि का परिचय अपनी कहानियों सद्गति, कफन,पूस की रात,ठाकुर का कुआँ,जुर्माना,सवा सेर गेहूं,दूध का दाम,घासवाली, मंदिर,मंत्र,गरीब की हाय,विध्वंस, आदि में दलित,वंचित, शोषित, पीड़ित की उपेक्षा और उनके साथ हो रहे अन्याय,अत्याचार के साथ उनके जीवन-संघर्ष की यथार्थ अभिव्यक्ति से दी है।

सद्गति कहानी में दुखी चमार अपनी बिटिया की सगाई के उद्देश्य से पंडित घासीराम को अपने घर बुलाने के प्रयास के क्रम मे भूखे-प्यासे बेगार करते हुए घासीराम के दरवाजे पर दम तोड़ देता है।दुखी चमार का शव उठाने से चिखुरी गोंड़ सबको मना कर दिया-**"खबरदार,मुर्दा उठाने मत जाना। अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल्लगी है कि एक गरीब की जान ले ली।पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे।लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे।"(3)**

रातभर दुखी की लाश को लेकर बेचैनी बनी रही।अंत में-**"पंडित जी ने रस्सी पकड़ कर लाश को घसीटना शुरू कियाऔर गाँव के बाहर घसीट ले गये।---- दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध,कुत्ते और कौए नोच रहे थे।यही जीवन पर्यन्त की भक्ति,सेवाऔर निष्ठा का पुरस्कार था।"(4)**

प्रेमचंद के समय से ही समाज में जाति-धर्म-संस्कृति में संघर्ष होना शुरु हो चुका था। दलितों की ऐसी स्थिति से उबारने वाले मसीहा डॉ॰ अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि “जब तक भारत में सामाजिक

समानता और न्याय का बोलबाला नहीं होगा तब तक हमारी स्वतंत्रता जो हमने 75 सालों के महान संघर्ष के बाद प्राप्त की है अक्षुण्ण न रहेगी।अछूतों और पिछड़े वर्गों में राजनीतिक और आर्थिक जागृति होने पर भी सामाजिक न्याय की जागृति के अभाव में वह सदा ही अछूत बना रहेगा इसलिए यह जरूरी है कि हमारी आजादी की रक्षा के लिए सामाजिक समानता की स्थापना हो। अछूतपन के अभिशाप को मिटाने का एकमात्र उपाय सामाजिक न्याय की आवश्यकता है।"**5**

दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ मसला,रौंदा या कुचला हुआ शोषित,दबाया गया,खंडित,विनाश किया हुआ है। साहित्यकारों ने शोषित और हाशिए पर रहे लोगों के लिए दलित शब्द का प्रयोग किया है।दलित अर्थात दलन,शोषण उत्पीड़न ,दबाए हुए शोषित,पीड़ित,प्रताड़ित लोगों का वर्ग है।

महात्मा गांधी ने दलित शब्द के स्थान पर 'हरिजन' शब्द का व्यवहार किया है।डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार "दलित जातियाँ वे हैं जो अपवित्र होती हैं।जिनमें निम्न श्रेणी के कारीगर,धोबी, मोची,भंगी,सेवक जातियाँ जैसे- महार,चमार, डंगारी(मरे पशु उठाने के लिए) दायमा-खटिक (प्रसूति गृह कार्य के लिए) तथा ढोल-पल्ली बजाने वाले आते हैं।"6

डॉक्टर अंबेडकर के विचार से हिंदुस्तान केवल विषमता का आश्रय स्थान है। हिंदू समाज उसकी एक मीनार है और एक-एक जाति उसकी एक-एक मंजिल है। लेकिन इस मीनार में सीढ़ी नहीं लगी है। एक से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए उसमें मार्ग नहीं रखा गया है।जिस मंजिल में जो जन्मा उसी में मरे।नीचे की मंजिल में जन्मा व्यक्ति चाहे जितना भी लायक क्यों न हो उसे ऊपर की मंजिल में प्रवेश नहीं और ऊपर की मंजिल में जन्मा व्यक्ति चाहे वह कितना भी नालायक क्यों न हो उसे भी मंजिल से धकेलने का साहस किसी में नहीं।"7

डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि अछूतों शुद्रों पर विभिन्न निर्योग्यताऐं लादकर ब्राहमणों ने उन्हें अत्यंत हीन जीवन जीने को बाध्य किया।"**8**

डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखा है -“हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते।कुऐं से पानी नहीं खींच सकते। अपने दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठा सकते ।यदि हम अधिकार पूर्वक ऐसा करते हैं तो हमें मारा-पीटा जाता है ।अच्छी पोशाकें पहने, सोने चांदी के जेवर पहने, पानी के लिए तांबे पीतल के बर्तनों का उपयोग करने, जमीन जायदाद खरीदने,मरे जानवरों का मांस न खाने,हिंदुओं को जोहार न करने,शौच के लिए लोटे में पानी ले जाने का विरोध करते देखकर तो विदेशी भी दांतों तले ऊंगली दबा लेते हैं।”9

सामाजिक विकास की प्रक्रिया में औद्योगिकरण नगरीकरण पश्चिमीकरण धर्मनिरपेक्षीकरण सांस्कृतिकरण शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक विकास लोकतंत्रिकरण, सामाजिक आंदोलन के फलस्वरूप दलितों की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ है।इसे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संविधान का ही प्रतिफल माना जाएगा।डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि “संविधान सभा में आने के पीछे मेरा उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने से अधिक कुछ नहीं था।जब प्रारूप समिति ने मुझे उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया तो मेरे लिए यह आश्चर्य से भी परे था मुझ पर इतना विश्वास रखने और देश की सेवा का अवसर देने के लिए मैं अनुग्रहित हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों।एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों”10

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक प्रजातंत्र बनाने पर बल देते थे उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। सामाजिक धरातल पर भारत में बहु स्तरीय असमानता है।कुछ को विकास अवसर और अन्य को पतन के।कुछ लोग हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है और बहुत लोग घोर

दरिद्रता में जीवन बिता रहे हैं।मुझे उन दिनों की याद है जब राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीय 'भारत की जनता' इस अभिव्यक्ति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते थे। उन्हें भारतीय राष्ट्र कहना अधिक पसंद था हजारों जातियों में विभाजित लोग कैसे एक राष्ट्र हो सकते हैं।जितनी जल्दी हम यह समझ लें कि इस शब्द के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ में हम आज अब तक एक राष्ट्र नहीं बन पाए हैं,हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा ।क्योंकि तभी हम एक राष्ट्र बनने की आवश्यकता को ठीक से समझ सकेंगे ।यदि हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनना है तो इन कठिनाइयों पर विजय पानी होगी। क्योंकि बंधुत्व भी स्थापित हो सकता है जब हमारा एक राष्ट्र हो।

' यदि हम संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं जिसमें जनता की जनता के लिए और जनता द्वारा बनाई गई सरकार का सिद्धांत प्रतिष्ठापित किया गया है तो हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम हमारे रास्ते में खड़ी बुराइयों की पहचान करने और उन्हें मिटाने में भी ढिलाई नहीं करेंगे।देश की सेवा करने का यही एक रास्ता है। मैं इससे बेहतर रास्ता नहीं जानता!"**11**

विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर अंबेडकर के पिता सेना में थे जिसके फलस्वरूप उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला ।उन्होंने इस अवसर का भरपूर उपयोग किया और अंततः अपनी योग्यता एवं अधिकार का सबसे बड़ा उपयोग दलितों की सेवा में किया ।उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य दलितों के लिए उचित संवैधानिक व्यवस्था बनाने में किया है। यदि आज भी अंबेडकर द्वारा निर्मित भारतीय संविधान का पालन किया जाय तो सामाजिक असमानता दूर हो सकती है। परंतु गणतंत्र भारत देश इतने बरसों बाद भी संविधान के अनुसार देश में कार्य नहीं हो पा रहा है।जिसके कारण दलितों वंचितों शोषितों को पूर्ण लाभ नहीं हो पा रहा है।

संदर्भ सूची-

1-गोदान,पृष्ठ-319,अनुपम प्रकाशन,पटना सं:2003 ई०

2- " " " " " पृष्ठ-221

3-मानसरोवर भाग-4,पृष्ठ-17, अनुपम प्रकाशन पटना सं०2015ई

4-" " " पृष्ठ-18

(5) पृष्ठ 47,48

“दलित चेतना और हिन्दी साहित्य। -अनिता सिंह संस्करण 2013 युनिवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली

(6) पृष्ठ -3, वही।

(7) पृष्ठ 11 वही ।

(8) पृष्ठ 13 वही।

(9) पृष्ठ 16 वही।

(10) पृष्ठ 15 हिन्दुस्तान, पटना 26जनवरी2019

(11) पृष्ठ15 वही

***